उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-88/2023/430जे0/22-5-2023-1200(24)/2017 टी०सी०

लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2023

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-27009/सामा-1(8)/188/मानसिक बन्दी/23, दिनांक 25-08-2023 द्वारा जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विपिन तिवारी पुत्र श्री नन्द कुमार तिवारी को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने की अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें जिला कारागार, अम्बेडकरनगर वापस भेज दिया जाये।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-88/2023/430जे0(1)/22-5-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 25-08-2023 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। **(संलग्नक यथोक्त)**

2. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर ।

3. पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर ।

4. अधीक्षक, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर ।

5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in